जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 10 प्रभात जालोर, शुक्रवार 18 अप्रैल, 2025 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

गुरुवार को दोपहर में राहुल गांधी बॉस्टन के लिए रवाना हो गये

राहुल गांधी बॉस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे, प्रवासी भारतीयों व फ्रैन्ड्स ऑफ कांग्रेस के सदस्यों से मुलाकात करेंगे

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। राहुल गांधी, जो दिल्ली में यथासंभव कम ही समय गुजारते हैं, गुरुवार शाम अमेरिका के बोस्टन शहर के लिये रवाना हो गये, जबकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार, 19 अप्रैल को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें नैशनल हैरल्ड केस में राहुल तथा सोनिया गांधी के खिलाफ पेश की गई ईडी की चार्जशीट के विरोध के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जाना है।

खड़गे ने मीटिंग में सभी एआईसीसी महासचिव, राज्य प्रभारी, सचिव, अग्रणी संगठनों के प्रमुख तथा विभाग प्रमुख बुलाये हैं।

खड़गे द्वारा बुलाई गई पिछली मीटिंग निराशाजनक रही थी, क्योंकि उसमें कई लोग उपस्थित नहीं हुये थे। अनुपस्थित रहे नेताओं में एआईसीसी महासचिव तथा संगठन-प्रभारी के.सी. वेणुगोपाल भी शामिल थे, जो राहुल गांधी के दायें हाथ तथा उनके पीए की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिये बहुत से कांग्रेस नेता उन्हें असली कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्णय वे ही लेते हैं तथा खड़गे के निर्णयों को उलट भी देते हैं।

- राहुल की यह अमेरिका यात्रा उल्लेखनीय इसलिए है, क्योंकि शनिवार को कांग्रेसाध्यक्ष खड़गे ने राज्यों के प्रभारी, महासचिवों, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारियों आदि की बैठक बुला रखी है।
- इस बैठक में यह निर्णय लिया जायेगा नैशनल हैरल्ड के मसले में, सोनिया गांधी व राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है, उसके संदर्भ में कैसे विरोध प्रदर्शन किया जाये।
- बैठक बुलाना जरुरी इसलिए हो गया क्योंकि पिछली बार विरोध के लिए जो प्रदर्शन आयोजित किये गये थे, वे काफी ''फ्लॉप'' रहे थे। तथा, कई दिग्गज नेता अनुपस्थित रहे थे। महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे, वे गुजरात में राहुल गांधी के साथ थे।
- अतः यह अजीबोगरीब बात है, कि, सोनिया गांधी व राहुल गाँधी को मजबूती देने का कार्यक्रम तय करने के लिए आयोजित बैठक में स्वयं राहुल गांधी उपस्थित नहीं होंगे।

यह मीटिंग राहुल गांधी की गैरहाजिरी में ही होगी।

दिलचस्प बात यह है कि सोनिया एवं राहुल गांधी को जमानत लेने के लिए राउज़ एवेन्यु कोर्ट में व्यक्तिशः उपस्थित होना पड़ेगा तथा 25 अप्रैल को शुरु हो रही केस की सुनवाई के बाद कुछ भी हो सकता है।

राहुल गांधी अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही, वे वहाँ रहने वाले भारतीयों तथा कांग्रेस के शुभचिन्तकों के साथ ''मीट एण्ड ग्रीट'' कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रवेश टिकट से होगा।

ईडी की कार्यवाही के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का अगला राउन्ड संभवतः 25 अप्रैल को होगा, जिस दिन केस की सुनवाई शुरु होनी है। आशा की जा रही है कि इस प्रदर्शन का आयोजन एवं स्वरूप काफी व्यवस्थित होगा तथा इसमें पहले से अधिक नेता शामिल होंगे।

प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि आखिर ईडी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ क्यों नहीं, जो ईडी के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अब तक किसे व कितनी विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति दी गई

जयपुर, 17 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश कर यह बताने के लिए कहा है कि राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृति योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक किन-किन व्यक्तियों को कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में राज्य सरकार की ओर से दी गई है। अदालत ने यह भी बताने को कहा है कि छात्रवृत्ति देते समय छात्रों की आर्थिक स्थिति क्या थी। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश कुमारी मनजीत देवड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है।

- हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल को शपथ पत्र के द्वारा जानकारी देने के निर्देश दिये।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश के मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन कराने के लिए राजीव गांधी विदेश शिक्षा छात्रवृति योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सभी मापदंड पूरा करने पर याचिकाकर्ता का चयन किया गया। वह करीब डेढ साल से ऑस्ट्रेलिया में रहकर पढाई कर रही है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक उसे इस योजना के तहत छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। जिसके चलते उसका प्रवेश रद्द हो सकता है और उसका वीज़ा भी समाप्त किया जा सकता है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से योजना की संपूर्ण जानकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''रॉ'' के पूर्व मुखिया दुलत साहब की किताब से काफी हंगामा हुआ

किताब में लिखा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, दिल्ली की भाजपा सरकार के साथ काम करने को तैयार थे, तथा अगर जरूरत होती तो आर्टिकल 370 हटाने के पक्ष में मतदान भी करने में नहीं हिचकिचाते

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। पूर्व रॉ प्रमुख ए.एस. दुलत, जो अब्दुल्ला परिवार के नज़दीक माने जाते हैं, ने अपने इस दावे से नैशनल कॉन्फ्रैंस के पुराने दिग्गज डॉ. फारुक अब्दुल्ला को संकट में डाल दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री ''दिल्ली की भाजपा सरकार के साथ काम करने की इच्छा को लेकर पूरी तरह खुले हुये थे'' तथा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने वाले विधेयक को पारित कराने में मदद तक कर सकते थे।

दुलत की नई पुस्तक ''द चीफ मिनिस्टर एण्ड द स्पाय'' में किये गये रहस्योद्घाटनों ने एक नया और बड़ा राजनैतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इस पुस्तक ने डॉ. अब्दुल्ला के चेहरे पर 'बचे हुये अंतिम मुखौटे को भी हटा'' दिया है। पीडीपी नेता तथा विधायक वहीदुर्रहमान पर्रा ने कहा, ''वो आग उगलने वाले भाषण, वो नाटकीय आक्रोश, भाजपा से लड़ने की सावधानी से गढ़ी गई वो छवि- सब कुछ ड्रामा था। वस्तुतः वे जम्मू-कश्मीर की जनता के अशक्तीकरण के मूक सहयोगी थे।''

डॉ. अब्दुल्ला ने इस पुस्तक के लेखक, अपने पूर्व मित्र तथा जासूस से स्वयं को दूर कर लिया है तथा इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- दुलत कई वर्षों तक कश्मीर में भारत सरकार की इंटैलिजैंस एजेन्सी 'रॉ' के मुखिया के रूप में कार्यरत रहे थे, तथा डॉ. फारुख अब्दुल्ला के, शेख अब्दुल्ला का उत्तराधिकारी बनने से लेकर अब तक, बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं।
- उनका (दुलत साहब का) शुरू से मानना है कि, डॉ. फारुख अब्दुल्ला, अपने पिता कि भांति पूर्णतया भारत के प्रबलतम समर्थक रहे हैं। पर शेख अब्दुल्ला व डॉ. फारूख में एक प्रमुख फर्क था। शेख अब्दुल्ला, कई मसलों पर दिल्ली की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आन्दोलनरत भी रहे, तथा कई साल जेल में भी रहे, पर डॉ. फारुख अब्दुल्ला सदा केन्द्रीय सरकार के साथ मिलकर ही काम करने में विश्वास रखते रहे हैं।
- शायद, दुलत साहब अपनी किताब में डॉ. अब्दुल्ला के इस व्यक्तित्व को भी प्रस्तुत करने जा रहे थे।

1950 के दशक के ''हिन्दी-चीनी भाई-भाई'' के नारे को दोहराना चाहता है चीन

पर, 1950 में भारत भोला, आदर्शवादी सोच से ओत-प्रोत, नया देश था, पर अब परस्थितियां भी बहुत बदल गई हैं

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 17 अप्रेल। यह एक ऐसा कूटनीतिक संकेत है जो प्रतीकात्मकता, सही समय और राजनीतिक इरादे से भरा हुआ है। भारत की तरफ चीन की हालिया पहल, जैसे वीज़ा प्रक्रियाओं को आसान बनाना, भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क में कटौती और सांस्कृतिक निमंत्रण देना आदि के बारे में कहा जा रहा है कि ये पैन्डैमिक के बाद के सामान्य आर्थिक प्रयास हैं, जिनका उद्देश्य पर्यटन तथा लोगों के बीच सम्पर्क को बढ़ावा देना है, लेकिन सतह से थोड़ा नीचे जाएं तो स्पष्ट होता है कि इन पहलों में उस बीते युग की गूंज है, जब भारत और चीन ने अपने आपको ''हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे के तहत, एशियाई भाईचारे के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी।

1950 के दशक की शुरूआत में

- अतः क्या पुराना नारा चल पायेगा, चाहे ''पैकेजिंग'' कितनी भी बदल लो।

उपनिवेशी प्रभुत्व तथा आंतरिक उथल-पुथल से हाल ही में मुक्त हुए दोनों देशों ने एशियाई एकजुटता का भव्य प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल सीमाएं पार कर रहे थे, बड़े-बड़े समारोहों में व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू तथा चीनी प्रधानमंत्री चाओ एनलाइ ने मिलकर ऐसे समय पर एशियाई पुनर्जागरण की एक कल्पना को प्रस्तुत किया, जब शीत युद्ध ने दुनिया को वैचारिक खेमों में बांट रखा था।

कुछ समय के लिए, दिल्ली और बीजिंग ने इस विचार को आगे बढ़ाया कि एशिया की प्राचीन सभ्यताएं पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र दिशा तय कर सकती हैं। वर्तमान में, पर्यटन तथा संस्कृति की भाषा में लपेट कर संबंध बढ़ाने के जो इशारे किए जा रहे हैं, वे उसी ऐतिहासिक रणनीति से प्रेरित लगते हैं, हालांकि आज का भू-राजनीतिक परिदृश्य कहीं अधिक जटिल, प्रतिस्पर्धात्मक और संघर्षपूर्ण है।

तथापि, 1950 के दशक की तरह ही आज भी ''सॉफ्ट डिप्लॉमसी'' के साथ-साथ गहरे रणनीतिक अविश्वास भी बने हुए हैं।

आज की तरह, उस समय भी सीमा संबंधी मुद्दे अनसुलझे ही थे तथा अंदर ही अंदर सुलगता तनाव 1962 के छोटे, लेकिन कटु युद्ध में फूट पड़ा। आज, पर्यटन और सांस्कृतिक कूटनीति में अचानक आई गर्माहट के बावजूद,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उपमुख्यमंत्री बैरवा को मारने की धमकी देने वालों को जमानत नहीं

जयपुर, 17 अप्रैल। सत्र न्यायालय, जयपुर महानगर, प्रथम, ने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी वसीम खान, मोहम्मद अशरफ और जुनैद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीठासीन अधिकारी नंदिनी व्यास ने अपने आदेश में कहा कि जेल में रहते हुए इस तरह की घटना को अंजाम देना, सुरक्षा को चुनौती देने के

- अदालत ने जेल में रहते धमकी देने को कानून व्यवस्था के लिए चुनौती देना माना।

समान है। आरोपियों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और समाज को आतंकित करने वाले हैं। यदि इन्हें जमानत दी गई तो मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन्हें जमानत देना उचित नहीं है।

जमानत अर्जियों में कहा गया कि उन्होंने न तो पुलिस कंट्रोल रूम में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय सरकार के वादे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित, वक्फ विधेयक पर ''स्टे'' नहीं दिया

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, संकेत दिये थे, कि वह विधेयक के कुछ प्रावधानों को ''स्टे'' करने की सोच रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिन पहले ऐसे संकेत दिये थे कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे दे सकता है, लेकिन गुरुवार को न्यायालय ने वक्फ कानून में हाल ही में किये गये कुछ बदलावों पर स्टे नहीं दिया, क्योंकि केन्द्र ने अदालत को आश्वासन दे दिया कि वक्फ बोर्डों तथा काउंसिलों में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूज़र के रूप में घोषित या रजिस्टर्ड सम्पत्तियों को निर्दिष्ट (डिनोटिफाई) नहीं किया जायेगा।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बैंच ने केन्द्र की ओर से उपस्थित हुये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आशय के बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया।

संक्षिप्त-सी सुनवाई के बाद, बैंच,

- सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों के सम्मुख तर्क रखा कि, ''प्राइमा फेसिया'' रीडिंग के बाद, संशोधित वक्फ विधेयक के प्रावधानों को ''स्टे'' करना उचित नहीं होगा।
- मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने यह तर्क स्वीकार करते हुए, पर यह वादा भी मांगा सरकार से कि वक्फ बोर्ड में नवनियुक्तियां, वक्फ प्रॉपर्टी को चिन्हित करना, आदि कार्यवाही नहीं होगी सरकार की ओर से।
- सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर कि, सात दिनों में सरकार पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपना जवाब पेश करेगी, तथा तब तक वर्तमान स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का ''स्टे'' नहीं दिया।

जिसमें जस्टिस संजय कुमार तथा के.वी. विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने अपने आदेश में कहा कि सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ''प्रतिवादी एक छोटा-सा जवाब देना चाहेंगे, जो सात दिन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा।'' ''उन्होंने (मेहता) आगे कहा कि संशोधित प्रावधानों के धारा 9 तथा 14 के तहत काउंसिल तथा बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक, जिसमें वक्फ बाय यूज़र भी शामिल है, चाहे अधिसूचना के जरिये घोषित किया गया हो, या रजिस्ट्रेशन द्वारा, चिन्हित नहीं किया जायेगा, और न उसका स्वरूप या प्रकार ही बदला जायेगा। हमने यह कथन रिकॉर्ड पर ले लिया है। सात दिन के अन्दर, प्रतिवादियों की ओर से जवाब/काउन्टर ऐफिडेविट पेश हो जाना चाहिये। उसके बाद, पाँच दिन के अन्दर उसका जवाब पेश हो जाना चाहिये।''

बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह संशोधित वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा सकता है इसमें वे प्रावधान शामिल हैं, जो वक्फ बाय यूज़र्स, वक्फ बोर्ड और काउन्सिल के गैर मुस्लिमों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल्द शुरु होगी कैलाश-मानसरोवर यात्रा

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जारी तकनीकी बातचीत पूरी हो गई है और जल्द ही सरकार यात्रा की शर्तें और अन्य विवरण सार्वजनिक करेगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यहां नियमित ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा

- भारत और चीन के बीच इस संबंध में चल रही तकनीकी वार्ता पूरी हो गई है। जल्दी ही नोटिस जारी कर घोषणा की जा सकती है।

कि भारत सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर जल्दी ही एक नोटिस जारी करेगी। दोनों देशों के बीच यात्रा के तौर तरीकों और शर्तों आदि को लेकर जारी तकनीकी बातचीत में सहमति बन गई है। यह पूछे जाने पर कि लद्दाख में डेमचोक के रास्ते से कैलाश मानसरोवर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प प्रशासन की ''रैसिप्रोकल'' आक्रामक टैरिफ के जनक एक हारवर्ड प्रशिक्षित इकोनॉमिस्ट नवारो हैं

उन्होंने आज से नहीं, शुरू से ट्रम्प के कानों में ''इकोनॉमिक नैशनलिज़्म'' का नारा डाला है, जो अब ट्रम्प प्रशासन का मूल दिशा निर्धारित करने वाला दर्शन (फिलोसॉफी) बन गया है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 अप्रैल। जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस महीने के आरम्भ में रैसिप्रोकल टैरिफ नीति की शुरुआत की, तो वैश्विक बाज़ारों में कई व्यापारिक साझेदार देशों से आयात होने वाले उत्पादों पर 10 से 125 प्रतिशत ड्यूटी लगाई गई, जिसका तत्काल विरोध हुआ और बाज़ारों में उथल-पुथल मच गई। लेकिन इस दुस्साहसी कदम के पीछे जो नाम सबसे प्रमुख था, वह था पीटर नवारो, जो लम्बे समय से व्यापारिक संरक्षणवाद का पर्याय बना हुआ है।

ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नवारो, ट्रंप के आक्रामक व्यापार हस्तक्षेपों के मुख्य शिल्पकार रहे हैं। प्रशासन की व्यापार नीतियों पर उनका गहरा प्रभाव न तो नया था और न ही संयोगवश। हार्वर्ड-प्रशिक्षित अर्थशास्त्री नवारो वर्षों से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो वैश्विक व्यापार समझौतों की तुलना में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। चीन को आर्थिक खतरे के रूप में देखने की उनकी धारणा ने उन्हें ट्रंप की आर्थिक टीम में ऊँचे स्थान तक पहुँचाया, जहाँ उनकी संरक्षणवादी नीतियों ने अमेरिकी व्यापार संबंधों में बड़े बदलाव किए।

- नवारो का चिन्तन है, कि, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में ''टैरिफ'' की भूमिका अनुचित व्यापारिक तौर तरीकों को रोकने में बहुत महत्व रखती है।
- साथ ही नवारो के चिन्तन के अनुसार टैरिफ लगाने से सरकार की आमदनी बढ़ती है।
- नवारो, अपनी इस सोच के कारण, ट्रम्प प्रशासन में काफी लोकप्रिय हैं, तथा ट्रम्प प्रशासन के इकॉनमिस्ट नैशनललिस्ट उन्हें अपना वैचारिक गुरू मानते हैं।
- पर, मुख्यधारा के इकॉनमिस्ट को नवारो का सोच बहुत ''सिम्पलिस्टिक'' (साधारण व भावनाओं से प्रेरित) लगा, तर्क व आंकडों पर आधारित कम नज़र आया।

उनके 2011 की किताब ''डेथ बाय चाइना'' से जुड़ी हैं, जिसमें उन्होंने चीन की व्यापार नीतियों को लेकर गंभीर चेतावनी दी थी। इस किताब ने उन्हें आर्थिक राष्ट्रवादियों के बीच लोकप्रिय बना दिया, लेकिन मुख्यधारा के कई अर्थशास्त्रियों ने इसे एकतरफा और अतिरंजित करार दिया। उनका कहना था कि नवारो के तर्कों में डेटा की कमी है और उनके तर्क संतुलित विश्लेषण की बजाय डर फैलाने वाली भाषा पर आधारित हैं।

इसके बावजूद, ट्रम्प सरकार की ट्रेड पॉलिसी को आकार देने में नवारो की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उनके मार्गदर्शन में ''अमेरिका फर्स्ट'' आधारित आर्थिक एजेंडा को एक स्वाभाविक सहयोगी मिला। नवारो का मूल दर्शन, जो व्यापारिक घाटा कम करने, विदेशी व्यापार में जोड़-तोड़ का मुकाबला करने और अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करने पर आधारित है, ट्रंप प्रशासन द्वारा वर्ष 2025 में घोषित साहसी नीति का वैचारिक आधार बना।

अब यह सिर्फ एकैडमिक रुख नहीं रहा है। नवारो ने न केवल टैरिफ का समर्थन किया। बल्कि इस टैरिफ नीति के निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी और इसके पक्ष में बहुत ज्यादा मुखर भी थे। फरवरी 2025 में एक इंटरव्यू में नवारो ने इसे अन्यायपूर्ण व्यापार प्रक्रिया के खिलाफ सुधारात्मक उपाय बताते

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अजमेर दरगाह विवाद पर सुनवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

जयपुर, 17 अप्रैल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर अजमेर की निचली अदालत में पेश दावे पर सुनवाई रोकने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की

- गत नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को पूजा स्थल विवाद पर कार्यवाही जारी नहीं रखने के निर्देश दिये थे। दिसम्बर में अदालत को इसकी जानकारी भी दे दी गई थी पर निचली अदालत ने कार्यवाही जारी रखी।

गई है। खादिमों की संस्था, अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दायर इस याचिका पर आज जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने एक सप्ताह के लिए सुनवाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)